रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240564
SG-DL-E-25112022-240564

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/ अग्रहायण 3, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 359
No. 521]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/ AGRAHAYANA 3, 1944	[N. C. T. D. No. 359

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

नागरिक सुरक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

सं. फा. 6(2)/आर.आर./सीडी/2018/7632.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई 1959 की अधिसूचना जी.एस.आर. 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कमांडेंट (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–**

(क) इन नियमों को नागरिक सुरक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कमांडेंट (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान) भर्ती नियमावली, 2021 कहा जाये।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग – ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 मे निर्दिष्टि पदो ंके लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा , अन्य योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं0(5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव** :– इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनूसूची

1.	**पदनाम**	:	कमांडेंट (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान)
2.	**पदों की संख्या**	:	01* (2021) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय , राजपत्रित, समूह ''क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 11 (67700– 208700/–रुपये सातवें वेतन आयोग के अनुसार)
5.	**क्या चयन पद है या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	अनिवार्य योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं योग्यता मानक टीप : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।**	:	आयुः लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता : लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं ।
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या**	:	पद्धति : प्रतिनियुक्ति प्रतिशत : 100

	प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है**	:	प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य/के अन्तर्गत अधिकारी; क. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii)वेतन मैट्रिक्स के स्तर –10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि; (ii) नागरिक सुरक्षा/अग्निशमन/पुलिस/सेना/अर्द्धसेना/अग्निशमन सेवा संगठन में प्रशिक्षण टीप –2 केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समिति लागू नहीं – (अध्यक्ष) लागू नहीं – (सदस्य) लागू नहीं – (सदस्य) लागू नहीं – (सदस्य) लागू नहीं – (सदस्य) विभागीय स्थाईकरण समिति 1. लागू नहीं –अध्यक्ष
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राहुल सुदान, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा बल, दिल्ली ।

DIRECTORATE OF CIVIL DEFENCE

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2022

No. F. 6(2)/R.R./CD/2018/7632.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification GSR-840 dated 13th July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of Recruitment for the post of Commandant (Central Training Institute) in the Directorate of Civil Defence, Government of National Capital Territory of Delhi.

Short title and commencement –

a. These rules may be called the Commandant (Central Training Institute) Recruitment Rules, 2021 in the Directorate of Civil Defence, Government of National Capital Territory of Delhi.

b. They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in Matrix:- The number of said posts, their classification and level in Pay matrix attached thereto shall be specified in column (2) to (4) of the Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification – No person;-

   a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of these rule.

6. Power to Relax – Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of National Capital Territory from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Commandant (Central Training Institute)	1 (2021) *Subject to variation dependant on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group, A	Level-11(Rs.67700-208700/-) in the PAY MATRIX.	Not Applicable	Not Applicable	**Essential :** **Qualification:** Not Applicable **Experience:** Not Applicable **Desirable:** **Qualification:** Not Applicable **Experience:** Not Applicable **Qualification Standard Note:**

						NA **Experience Standard Note:** NA

Whether age & educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
AGE: NA **Edu. Qual:** NA	NA	**Method :** Deputation **Percentage:** 100	**<u>By Deputation:</u>** Officers under the Central/State Governments/Union Territories; **(a)(i)** Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; **Or** (ii)With 5 years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis in Level-10 in the pay matrix or equivalent in parent cadre or department; and (b) processing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's Degree from a recognized university/institute. (ii) 05 years experience in Civil Defence/Fire fighting/Training in a Police/Military/Para-Military/Fire Service Organization. **<u>Note:-</u>** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	**Departmental Promotion Committee:** NA (Chairmen) NA (member) NA (member) NA (member) NA (member) **Departmental Confirmation Committee:** 1. NA (Chairmen)	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

			appointment in the same or some other organization/department of the central govt. shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAHUL SUDAN, Senior Staff Officer Civil Defence Corps: Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2022.11.25 22:03:36 +05'30'